भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2187
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

चंडीगढ़ में न्यायिक अवसंरचना

2187. श्री मनीश तिवारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा चंडीगढ़ के अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत आवश्यकताओं की तुलना में न्यायालय कक्षों, न्यायाधीशों के आवासों, वकीलों के चैंबरों और रिकॉर्ड रूमों सहित न्यायिक अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान चंडीगढ़ में स्वीकृत, निर्माणाधीन या पूर्ण किए गए न्यायालय परिसरों, न्यायालय कक्षों, डिजिटल न्यायालय कक्षों, आवासीय इकाइयों और अन्य न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान चंडीगढ़ न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय अथवा चंडीगढ़ प्रशासन से न्यायिक अवसंरचना के संवर्धन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है ; और

(ङ) चंडीगढ़ में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने संबंधी मामलों के लंबन को कम करने तथा न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के पास है । हालांकि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों

में न्यायपालिका के लिए आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू कर रही है । सीएसएस के अधीन, निर्धारित निधि साझाकरण पैटर्न में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । स्कीम में पांच घटक शामिल हैं, अर्थात्, न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकील कक्ष, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष । उच्च न्यायालय उपरोक्त स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 31.05.2026 तक न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले उपलब्ध न्यायालय कक्ष, वकील कक्ष और आवासीय इकाइयों की संख्या निम्नानुसार है :

न्यायालय	**स्वीकृत न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की संख्या**	**न्यायालय कक्ष**	**आवासीय इकाइयां**	**वकीलों के कक्ष**
उच्च न्यायालय	85	69	64	131
जिला न्यायालय	30	31	29	440

(ख) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 03 आवासीय इकाइयां पूरी हो चुकी हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए सीएसएस के अधीन चंडीगढ़ में कोई न्यायिक आधारभूत ढांचा नहीं बनाया गया है ।

(ग) से (ङ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को सीएसएस के अधीन कोई धनराशि जारी नहीं की गई, क्योंकि न्यायिक आधारभूत ढांचे के संवर्धन के लिए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र से कोई मांग/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । हालाँकि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबितता को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन नवीनतम तकनीकों का एकीकरण, न्यायालयों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय शामिल हैं ।

ई-न्यायालय परियोजना (2023-2027) के तीसरे चरण को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 13.09.2023 को मंजूरी दी गई थी । चरण-3 में अभिलेखों के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई के व्यापक उपयोग, संस्थानों के बीच अंतरसंचालनीयता और

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), विश्लेषण और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज रहित न्यायालयों की ओर परिवर्तन की परिकल्पना की गई है । ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, ई-फाइलिंग, ई-पे, ई-समन, वर्चुअल न्यायालय, न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) जैसी डिजिटल सेवाएं लागू की गई हैं । इसके अलावा, चंडीगढ़ में पॉक्सो अधिनियम और बलात्कार के मामलों के निपटान के लिए एक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तेजी से मामलों के समाधान के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए बकाया समिति की स्थापना की है । उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित किए हैं, जो 193 मध्यस्थों और 5 लोक अदालतों से मिलकर बने हैं और न्यायालय के बाहर समझौते में मदद करते हैं । उच्च न्यायालय ने जरूरतमंद लोगों को सहायता और नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक फ्रंट ऑफिस भी स्थापित किया है । समर्पित पीठों का गठन किया गया है जो उनके त्वरित निपटान के लिए मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए व्यवसाय से संबंधित मामलों को निपटाती हैं । इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले समूहों और हिरासत में आरोपियों के साथ आपराधिक मामलों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाती है और पुराने मामलों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों के तत्काल प्रकृति के मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है । एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित किया गया है जो अधिवक्ताओं को शीघ्र निपटान के लिए निष्फल मामलों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है ।

उच्च न्यायालय ने 01.04.2026 से 31.03.2027 की अवधि के बीच जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामले निपटान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना जारी की है । इन कदमों का उद्देश्य न्यायिक दक्षता को बढ़ाना और बैकलॉग को प्रभावी ढंग से कम करना है ।
